

1
 न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

नं. 7/12

तारीख रज् 12.1.12

उत्तर - मु. केशर कौण्ड 1/5 मु. आशा कौण्ड

दावा - बावत घोषणा खोतेदारी व स्थायी निधिघाशा

राधिया की ओरसे श्री सुरेश-कन्द शर्मा एडवोकेटने
 वा बावत घोषणा खोते दारी व स्थायी निधिघाशा
 शा किया। अवलोकन किया गया। प्रतिवादी गण
 जारिये सम्मन तलब करे। दावा दर्ज रजिस्टर
 र पत्रावली दिनांक 15-9-12 को पेश है।

96-106
 13-1-12

उप जिला कलेक्टर
 टोडाभीम (कौन्ती)

2/12

वादी वकील उप. प्रतिवादी नम्बर 4, 7, 9, 10 वाकज् 5
 सूचना उप. जटी। इनके क्लिड एक तला कार्रवाही की
 भोदेश दिष्टे जाते हैं। प्रतिवादी नं. 1, 2, 3, 5, 6, 8 की
 ओरसे श्री मनोज शर्मा एडवोकेटने कालत नामापेश
 किया। वास्ति जवाब दिनांक 20-3-12 को पेश है।

3/12

वकुलाय उप. वास्ति जवाब दिनांक 17-4-12 को पेश है।

4/12

वकुलाय उप. जवाबपेश कौन सगप - पाही। दिनांक
 8/5/12 को पेश है।

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

दि	दिनांक	फर्द अहकाम
11	23 ¹¹ /15	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी व वादी वकील उपस्थित नहीं। कई बार आवाज दिलाई गयी। फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः दाय वादी व वादी वकील को अनुपस्थित रहने के कारण पत्रावली अदम हाजरी व अदम पैम्बू में खारिज को जाता है। पत्रावली फैसल शुभार होकर नम्बर से कमकर दाखिलदफतर है।</p>
17		
1.		
3		